रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 11, 1971/माघ 22, 1892

No. 118] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 11, 1971/MAGHA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February 1971

S.O. 733.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that in column 3 of the Table appended to its Notification No. 434/GJ/70, dated the 4th January, 1971, for the existing entry No. 5, against "20-Dabhoi", the entry "Deputy District Development Officer (Revenue), District Panchayat, Baroda" shall be substituted.

[No. 434/GJ/70.]

By Order,
ROSHAN LAL, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी 1971

एस० ओ० 7 .:.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना संख्या 434/गुज०/70, तारीख 4 जनवरी, 1971 से संलग्न सारणी की मद सं० "20-डाभोई" के सामने स्तम्भ 3 में, विद्यमान प्रविष्टि संख्या 5 के स्थान पर, "उप जिला विकास आफिसर (राजस्व), जिला पंचायत, बड़ोदा" प्रविष्टि, प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 434/गुज०/70]

आदेश से,

रोशन लाल, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971